UPJS100030852025

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम० , गरौठा , जनपद- झाँसी ।

परिवाद संख्या- 2420/ 2025

हरीराम बनाम संगीता आदि ।

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी ।

दिनांक- 31. 07. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी । पुकार करायी गयी । पुकार पर परिवादी अनुपस्थित । परिवादी के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आये है एवं न ही परिवादी की ओर से कोई मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

2. पत्रावली वास्ते अंकित किये जाने साक्ष्य अन्तर्गत धारा- 225 बी०एन०एस०एस० नियत है । विगत कई तिथियों में परिवादी को धारा- 225 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कई अवसर प्रदान किये किन्तु परिवादी उपस्थित नहीं आया है, न ही उसकी ओर से कोई साक्षी अंतर्गत धारा- 225 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश किया गया । आज भी कई बार पुकारे जाने पर भी परिवादी उपस्थित नहीं आया है एवं न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये हैं ।

3. पत्रावली में धारा- 223 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परिवादी **हरीराम** का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। परिवादी द्वारा कोई साक्षी अन्तर्गत धारा- 225 बी०एन०एस०एस० पेश नहीं किया जा रहा है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर परिवादी को दिया जा चुका है परन्तु परिवादी द्वारा धारा - 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत कोई भी साक्षी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवादी को परिवाद चलाये जाने में कोई विशेष रूचि नहीं रह गयी है । उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पत्रावली के इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि विपक्षी को विचारण हेतु तलब किया जाना उचित प्रतीत हो । अतः परिवाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है ।

4. अतः यह परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

आदेश

परिवाद सं०- 2420/ 2025 , हरीराम बनाम संगीता आदि खारिज किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी० डि०) / ए. सी. जे. एम.
गरौठा , जनपद- झाँसी ।
J. O. Code- UP2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.07.31 16:54:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court